

-आदेश:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत पंजीयन तथा उसके बाद नवीनीकरण का कार्य दिनांक 1 फरवरी, 2016 से शुरू हो गया था, लेकिन वर्तमान में भी अधिकतर लोग ऑफ लाइन ही विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं।

1. The Factory Act, 1948
2. The Boilers Act, 1923
3. The Building & Other Construction workers(Employment & Conditions of Service) Act, 1996
4. The Industrial Establishment Act, 1946
5. The Contract Labour Act, 1970
6. The Motor Transport Workers Act, 1961,
7. The Shops & Commercial Establishment Act, 1962

जनहित में यह निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 30-05-2016 के उपरांत उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सभी कार्य ऑन लाइन किए जाएंगे।

Hand

(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,

श्रम भवन नैनीताल रोड-हल्द्वानी।

0.4
Lकार्यालयः— श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी।

पत्र सं० ७९६-४०१ एफ/विविध

दिनांक ११/०५/२०१६

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त अपर श्रम/उप श्रम/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक कारखाना/ब्वायलर्स, उत्तराखण्ड।
4. सूचना निदेशक को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र के साथ संलग्न सूचना को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. मै० मार्ग साप्टवेयर सोल्यूशंस, एस०एफ० प्रथम एवं तृतीय तल आशा अपार्टमेण्ट, गोखले मार्ग, लखनऊ -226001।
6. गार्ड फाईल।

Hand

(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,

श्रम भवन नैनीताल रोड-हल्द्वानी।

0.4
L